



वार्षिकप्रतिवेदन

2017-18



प्राक्कथन

प्रिय सदस्यो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमसब वर्ष 2010 से उत्तराखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय नेटवर्क उत्तराखण्ड एसोशिएशन फॉर पॉजिटिव पीपुल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स के सदस्य के रूप में संस्था से जुड़े हुए हैं। और वर्ष 2010 से पहले से हम सभी के द्वारा यह शपथ ली गई थी कि हम हर परिस्थिति में हमारे उत्तराखण्ड राज्य के सभी पी. एलएचए भाईयों एवं माता बहनों के समर्थन के लिए हर संभावित प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे। जिसके लिए हम वचन बद्ध हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं समुदाय के सभी सदस्यो ने कई प्रकार के कठनाइयों का सामना करते हुए पीएलएचए व्यक्तियों में संस्था का प्रभाव समुदाय के प्रति सम्मान और परिवारिक भावना को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी रहूंगा आज दिनांक 31 मार्च 2018 को संस्था को 8 वर्ष 1 माह 6 दिन हो गए हैं जो कि अत्यंत उत्साह का विषय है और यह समुदाय के सभी सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं के निश्चय और सकलप को दर्शाता है।

संस्था द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं जो कि पीएलएचआईवी के जीवन को प्रभावित कर उन्हे जिम्मेदारी कि नई किरण प्रदान करते हैं।

1. पीएलएचआईवी व्यक्तियों को निःशुल्क योग एवं स्वास्थ्य चैकअप शिवरों का आयोजन।
2. गरीब एवं बेसहारा पीएलएचआईवी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सहायता।
3. अनाथ एवं बेसहारा बच्चों यात्रा भत्ता एवं राशन सामग्री प्रदान करना।
4. असहाय व्यक्तियों को घर-घर जाकर आहार एवं आर्थिक सहायता प्रदान करवाना।
5. गरीब पीएलएचए बच्चों का निःशुल्क एडमिशन और शैक्षिक सामग्री का वितरण।

इन मांगों को लेकर नेटवर्क के सदस्यो द्वारा कई संस्थाओं दानदाताओं एवं अनुदान करताओं के समक्ष सहयोगा मांग गया जिसके चलते डॉ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन संस्था जो कि डकाटों अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का समूह है जो कि समाज में समानता एवं सहायता का भाव लाने के लिए प्रयासरत है। जिनके माध्यम से संस्था उक्त सभी गतिविधियों से पीएलएच. आईवी समूह को सहयोग प्रदान कर पा रही है जिसके लिए हम सभी सदैव डॉ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कृतज्ञ रहेंगे।

इसके अतिरिक्त विद्यान केयर एण्ड सपोर्ट सेक्टर के माध्यम को संक्रमित व्यक्तियों/महिलाओं और बच्चों को निम्न योजनाओं से लाभप्रद किया गया है जिसमें कि सामाजिक सहायता सम्मिलित है इसके अतिरिक्त समुदाय के स्टेक होल्डर सदस्यो को भी जोड़ा गया है जिनके माध्यम से उनके सेवाये एवं सुविधाये प्रदान किये जाने का मार्ग प्रसन्न किया गया है।

2017-18 की वार्षिक प्रतिवेदन मेरेद्वारा जारी किया जा रहा है। नेटवर्क की उपलब्धी एवं इसकी सेवाओं हेतु मैं आपने साथियों को हार्दिक शुभकामनाये देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस वार्षिक प्रतिवेदन से उत्तराखण्ड एसोसिएशन फॉर पॉजिटिव पीपुल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स, देहरादून द्वारा प्रदेश को एचआईवी के साथ जी रहे लोगों के उत्थान के प्रयासों को और बढ़ाया जायेगा।

(नाम प्रभाव)

अध्यक्ष

कलम से उत्तराखण्ड पनिकृश्य

उत्तराखण्ड राज्य का गठन नवम्बर 2000 में भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखण्ड राज्य भारत के अन्य राज्यों से काफी अलग है। उत्तराखण्ड में 75 प्रतिशत हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र में है। जिस में वर्षा पर आधारित कृषि की जाती है। उत्तराखण्ड में रोजगार योग्य समतल भूमि की कमी है। राज्य के गठन से लेकर अब तक पहाड़ी स्थान पर रोजगार की कमी रही है। उद्योगों क्षेत्र में भी यह अन्य राज्यों से पीछे है। पहाड़ी स्थानों पर किसी भी प्रकार का उद्योगों स्थापित नहीं हो पाया है। इसी कारण यहां की अधिकतर युवक रोजगार की तलाश में निचले समतल इलाकों में उतरने को मजबूर हैं। यहां पर पलायन की समस्या बनी हुई। जिसके परिणाम स्वरूप यह के युवक को घर से दूर जाना पड़ता है जिसके चलते व्यक्ति चाहते अन्यत्र होने लगती है वह अपनी चाहतों को सतुष्ट करने के लिए गलत दिशा में भटक जाता है, और जाने अनजाने में कई युवक इस खतरनाक बीमारी (एचआईवी/एड्स) की चपेट में आ जाता है। उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल आदि क्षेत्रों में प्रवासी एवं अन्य राज्य के लोगों का आवागमन अधिक है जिससे भी यह खतरनाक बीमारी (एचआईवी/एड्स) उत्तराखण्ड में धीरे धीरे अपना पैर फैला रही है। यद्यपि हम सम्पूर्ण भारत में देख तो यह एआईवी की दृष्टि से कमप्रतिशत संक्रमण वाला प्रदेश है, लेकिन यहां कि भौगोलिक स्थिति ही कठिन होने के कारण एच. आई. वी संक्रमित व्यक्ति को अनेक कठिनाईयाँ का सामना करना पड़ता है।

स्थिति	पुरुष	महिला	टी. जी	पुरुष बच्चे	महिला बच्चे	कुल योग
प्री. एआईटी	312	264	3	35	29	643
ऑन एआईटी	640	553	6	64	77	1340
योग	908	784	9	99	106	1983

उक्त प्रेषित संख्या केवल उन व्यक्तियों कि है जो कि निरंतर रूप से ए. आर टी सेटन से उपचार ले रहे है असल में संक्रमित व्यक्तियों कि संख्या 7000 से भी अधिक है जो कि सरकार के नियंत्रण से बाहर है।

उत्तराखण्ड राज्य में अन्य राज्यों कि तुलना में एचआईवी संक्रमण की प्रतिशत कम होने के कारण लोगों का ध्यान कम जाता है तथा अन्य राज्यों की तुलना में यहां पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का ध्यान कम रहता है। उत्तराखण्ड राज्य में 70 प्रतिशत संक्रमित व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों से है। इसलिए भौगोलिक स्थिति के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में एचआईवी के साथ जीवन यापन करने वाले लोग किस तरह से अपना जीवनयापन करते है। और वर्तमान समय में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के लिए जिवोअर्पन जैसे कि कौशल विकास योजना एवं सुष्ठु उद्योग के साथ जोड़ना एवं महिलाओं एवं पुरुषों में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना। उत्तराखण्ड राज्य में इस रोग के प्रति व्यापक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना आवश्यक है। जिसमें दुर्वाई का अनुपालन, एचआईवी. के साथ

किस तरह से लम्बा जीवन यापन कर सकते हैं, एक एचआईवी संक्रमित व्यक्ति द्वारा किस प्रकार से इस संक्रमण को रोक एवं कम किया जा सकता है, और एचआईवी से ग्रस्त व्यक्तियों के जीवनशैली को सुधारा जा सके और साथ ही साथ टीबी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एचआईवी के साथ साथ टीबी से संक्रमित व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिसके उपरान्त टीबी संक्रमित व्यक्तियों के लिए न्वाध्य सामग्री और अन्य पौष्टिक आहार सामग्री का वितरण भी किया जाना आवश्यक है।

संस्था का परिचय

उत्तराखण्ड एसोसियेशन फॉर पॉजिटिव पीप्यूल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स

उत्तराखण्ड जिसे देवो की भूमि कहा जाता है। यह प्रदेश भी एचआईवी से अछूता नहीं रहा। वर्तमान समय में राज्य में **7200** से अधिक एचआईवी संक्रमित व्यक्ति हैं जोकि आईसीटीसी जाँच में पाये गये हैं। यद्यपि हम सम्पूर्ण भारत में देखें तो एचआईवी की दृष्टि से कमप्रतिशत संक्रमण वाले प्रदेशों में आता है, लेकिन उत्तराखण्ड राज्य में दिन प्रति दिन एच. आईवी. संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है।

आज के दौर में समस्त लोग एचआईवी/एड्स की बातें तो बहुत करते हैं परन्तु जो लोग एचआईवी से संक्रमित हैं उनकी कोई बात नहीं करता। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को समाज के दोषी, कलंकित, लाछन भेदभाव से परिपूर्ण और समस्त समुदाय को धृणा कि दृष्टि से देखा जाता है वर्कन की नजर से देखा जाता है, यही दोषपूर्ण व्यवहार एचआईवी संक्रमित लोगों को समाज में बराबरी का हक प्रदान नहीं करता। कई ऐसी कुसृतियाँ हैं जो कि एच. आईवी संक्रमित व्यक्ति को सहम कर जीने को मजबूर करती हैं। इन्हीं कारणों से और अपने हक के लिये एचआईवी संक्रमित बुद्धि जीवी व्यक्तियों द्वारा एक संगठन का गठन किया गया तथा राष्ट्रीय स्तर नेटवर्क आईएनपी के प्रयास से उत्तराखण्ड राज्य में फरवरी 2010 में उत्तराखण्ड एसोसियेशन फॉर पॉजिटिव पीप्यूल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स की स्थापना की गई। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्था है। पंजीकरण संख्या 385/2009-10 है। यह उत्तराखण्ड एसोसियेशन फॉर पॉजिटिव पीप्यूल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स एक समुदाय स्तर का संगठन है। संगठन को गठन उत्तराखण्ड राज्य में एचआईवी के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों के अधिकार के लिए एक मंच पर एकत्रित करना है। संगठन की प्रबन्धकारिणी समिति में 11 सदस्य हैं। इनमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, एवं 6 सदस्य सहित सदस्यगण मौजूद हैं। प्रबन्धकारिणी समिति सदस्य में यह ध्यान भी रखा गया है कि उत्तराखण्ड के सभी जिले में एक सदस्य प्रतिभाग करने क्योंकि आने वाले समय में नेटवर्क की भविष्य में जिला स्तर पर नेटवर्क गठन किया जा सके इस ओर पहल करते हुये उत्तराखण्ड एसोसियेशन फॉर पॉजिटिव पीप्यूल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स, देहरादून के द्वारा नैनीताल (हल्द्वानी) एवं देहरादून जिले में नेटवर्क का गठन किया जा चुका है।

संगठन को उत्तराखण्ड एसोसियेशन फॉर पॉजिटिव पीप्यूल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स, एवं उत्तराखण्ड नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। उत्तराखण्ड एसोसियेशन फॉर पॉजिटिव पीप्यूल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स को एनसीपीआई राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क द्वारा राज्य स्तर के

नेटवर्क का दर्जा प्राप्त है, और यह संस्था एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों, महिलाओं एवं बच्चों को समर्पित है।

उत्तराखण्ड भले ही कम संक्रमण वाले राज्य में है लेकिन उत्तराखण्ड राज्य में एचआईवी के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि उत्तराखण्ड में जो लोग इस रोग से ग्रस्त हैं उनमें कई महिलाएँ विधवा हैं बच्चे अनाथ हैं पुरुषों के पास रोजगार नहीं है। पौष्टिक आहार की हमेशा कमी रहती है। दवाइयों के लिये मीलों दूर पैदल आना पड़ता है। और एआईवी सेटल आने के लिये कई लोगों को एक दिन पहले आना पड़ता है। उत्तराखण्ड नेटवर्क द्वारा निम्न बिंदुओं पर बार-बार माँग शासन के समक्ष रखी गई है।

- संक्रमित व्यक्तियों को निशुल्क बस पास सेवा।
- बच्चों का पौष्टिक आहार हेतु योजना।
- एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को पेशा।
- संक्रमित व्यक्तियों को स्वास्थ सुरक्षा योजना।
- शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति योजना।
- विधवा और अनाथ बच्चों के लिये अल्प विश्राम गृह/अनाथालय।
- उत्तराखण्ड राज्य की अपनी एच. आई वी की नीति।

नेटवर्क

उत्तराखण्ड में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों का संगठन

लक्ष्य

उत्तराखण्ड राज्य में एचआईवी के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों को एक मंच के तहत संगठित करना। उनके जीवन के अस्तित्व और गुणवत्ता में सुधार और एचआईवी संक्रमण को कम करने एवं सकारात्मक गतिविधियों का विस्तार।

नेटवर्क का उद्देश्य/कार्य

नेटवर्क/संगठन का उद्देश्य राज्य में संक्रमित एवं दवा ले रहे व्यक्तियों के प्रति केयर एवं सपोर्ट का कार्य निष्पादन करना है। नेटवर्क द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में एचआईवी के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों को संगठित करने हेतु निम्न उद्देश्य का निष्पादन किया जाना है।

- एचआईवी व्यक्तियों के समूह के माध्यम से जिला स्तर पर नेटवर्क का गठन करना।
- एचआईवी पर व्यवहार संहिता के सिद्धान्तों को प्रोत्साहित एवं लागू करना।
- एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाना।
- एचआईवी संक्रमित समुदाय के जीविकोपार्जन और सामाजिक सुरक्षा के लिये कार्य करना।

- एचआईवी. संक्रमित समुदाय में आजीविका हेतु स्वयं सहायता समूहों के निर्माण का प्रयास करना।
- एचआईवी संक्रमित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं, बेघर एवं अश्रितों के समुदाय के लिये शिक्षा, स्वरोजगार, एवं आश्रय के लिये सहयोगात्मक प्रयास करना।
- एचआईवी. संक्रमित समुदाय के लिये सकारात्मक औषधियों, टीका एवं औषधियों के अनुसंधान पर सकारात्मक सहयोग करना।
- राज्य में एचआईवी के साथ-साथ अन्य वर्गों के व्यक्तियों को भी सहयोग प्रदान जिससे कि समाज में स्थिरता बनी रहे ।
- राज्य भर में एचआईवी./एड्स विषय पर जागरूकता हेतु कार्यशाला, सेमीनारों का आयोजन करना।

उत्तराखण्ड नेटवर्क की भविष्य योजना

- एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को स्वरोजगार परक प्रशिक्षण।
- उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय नेटवर्क का गठन।
- पीएलएच. वर एवं नेटवर्क के सदस्यों को सरकारी योजनाओं में उचित भागीदारी एवं आर्थिक सहायता में सहयोग।
- एचआईवी. पॉजिटिव व्यक्तियों की पारिवारिक समस्याओं एवं भेदभाव को मिटाने के प्रयास हेतु जागरूकता कार्यक्रम।
- राज्य में एच आईवी./एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों की समस्याओं की जानकारी हासिल करना व उनके निराकरण हेतु सुनियोजित प्रयास करना ।
- अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षण सामग्री प्रदान करना
- वृद्धों के लिए विश्राम गृह की सहायता।
- ग्रभवति महिलाओं को संक्रमण से बचाना।
- एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को समाज के अन्य वर्गों में सम्मिलित करना।
- एचआईवी के साथ-साथ अन्य समाज सुधारक परियोजना एवं कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना।

नेटवर्क द्वारा अंचालित परियोजना का विवरण वर्ष 2017-2018

विद्यमान परियोजना

विश्व में एचआईवी./एड्स पीड़ितों की समस्या एवं व्यवहार संहिता सिद्धान्तों के संरक्षण, केयर और सर्पोर्ट के लिये दू ग्लोब फंड-टू फाईट एड्स, टयूबरकलोसिस एण्ड मलेरिया नामक विश्व स्तरीय संस्थान जिसके द्वारा विश्व स्तर पर कार्यक्रम को वित्त पोषित कर रही है। भारत में दू ग्लोब फंड-टू फाईट एड्स, टयूबरकलोसिस एण्ड मलेरिया के द्वारा नेशनल एड्स कन्ट्रोल ओर्गेनाइजेशन को भारत में प्रिंसिपल रिसिपेण्ट प्रथम स्तर पर चयनित किया गया है। इसी क्रम में एलाइंस इण्डिया को एचआईवी./एड्स को प्रिंसिपल रिसिपेण्ट द्वितीय स्तर पर चयनित किया गया है तथा ममता-हेल्थ इन्स्टीट्यूट फॉर मर्जर एण्ड चाइल्ड को क्षेत्रीय स्तर पर सब रिसिपेण्ट के स्तर पर चयन किया गया था। जो कि 01 जून 2018 से नेशनल नेटवर्क को यानी एनसीपीआई को सौंप दिया गया है।

वर्ष 2013 अप्रैल में विधान परियोजना का क्रियाव्ययन आरम्भ किया गया है। विधान परियोजना का संचालन प्रथम चरण में 31 राज्य में 315 केयर एण्ड सपोर्ट सेन्टर को स्थापित कर किया गया है। इसी 315 केयर एण्ड सपोर्ट सेन्टर में एक उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून स्थिति एआरटी सेन्टर देहरादून के आपेक्ष विधान केयर एण्ड सपोर्ट सेन्टर का संचालन उत्तराखण्ड एसोसियेशन फॉर पोजिटिव पीपुल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स, देहरादून के माध्यम से किया जा रहा है। विधान परियोजना के कुछ तथ्य निम्नवत् है :-

विधान

पहली किशन

(विधान संस्कृत शब्द है)

शीर्षक

पीएलएचए के लिये देखभाल, समर्थन और उपचार सेवाओं को अनुपात स्तर में सुधार

लक्ष्य

एचआईवी/एड्स के साथ रहने वाले लोगों के जीवन के अस्तित्व और गुणवत्ता में सुधार करने का संकल्प

सम्पूर्ण उद्देश्य

देखभाल और सहायता सेवाओं को मजबूत बनाना और दवा के पालन में संशक्तिकरण एलएफयू एवं मीकड व्यक्तियों को को खोज कर उनके दोबारा से दवाइयों पर लाना।
जगरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
सामुदायिक के व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु प्रयास।

पोषण आहार

यह परियोजना ना छोटे छूट भी संस्था के दायित्वों एवं क्रियो में एक अहम योगदान दे रही है। जिसकी शुरुआत आज से 3 वर्ष पहले हुई जिसके माध्यम से गरीब एवं बेसहारा बालक-बालिकाओं को निशुल्क पोषण सामग्री वितरण किया जाता तथा किया गया था जिसके लिए संस्था के सदस्यों द्वारा माँ कालिका माता मंदिर सेवा समिति के समक्ष माँग रखी गई



जो इसके चलते उत्तराखण्ड राज्य के 20 बालक बालिका जो कि 15 वर्ष तक कि आयु के हो उनको प्रत्येक माह आहार सामग्री दिए जाने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा सहयोग किया जाने लगा जो कि आज बढ़ कर 80 बालक बालिकाओं तक हो गई है जिनको कि प्रत्येक माह पौषण सामग्री वित्तीत कि जा रही है।

आश्रय

वर्ष 2010 से संस्था का मतवया रहा है हर संभव माध्यम से पीएलएचआईवी व्यक्तियों को लाभान्वित एवं सहयोग करना था जिसके अंतर्गत श्री आठनद सिंह तोमर पूर्व मुख्य सहायक जो कि एआरडी सेक्टर के प्रथम सक्रमित पंजीकृत व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन समुदाय के लिए नयौद्धार कर दिया था। श्री आठनद सिंह तोमर द्वारा वर्ष 2010 में प्रबोधकारिणी सदस्यों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि संस्था के सदस्यों के सहयोग से दूर-दराज से आने वाले पीएलएचआईवी व्यक्तियों को रात्री विश्राम गृह और जरूरत अनुसार कलार्ड को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा गया था। जिसको संस्था के

सदस्यों पूर्व 8 वर्षों से दायित्वों कि भांती वहन कर रहे है और आज संस्था प्रतिदिन 5-6 के लिए निः शुल्क रात्री विश्राम का प्रबंध कर रही है।



वस्त्र वितरण

संस्था द्वारा गरीब एवं बीमार पीएलएचकआईवी व्यक्तियों कि वस्त्रों एवं अन्य स्थितियों को देखते हुए संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा गरीब बेसहारा बच्चों एवं माताओं के लिए उपयोग ना किए जाने वाले एवं दान किए गए कपड़ों कि व्यवस्था किए जाने पर विचार किया गया जिसके पश्चात अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सभी परिचित व्यक्तियों से सहयोग माग



कि जिसके उपरांत समस्त गढ़वाल क्षेत्र से आए हुए गरीब व्यक्तियों के लिए निरंतर कपड़ों का इतेजाज संस्था द्वारा निरंतर किया जा रहा है और साथ ही साथ यह भी ध्यान दिया जाता है कि जो व्यक्ति कपड़ों को ले जाने का इच्छुक है वह बिना किसी रोक टोक के अपनी पसंद एवं इच्छा के अनुसार कपड़ों का चुनाव कर सके और उन्हे वस्त्रों को लेने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या सकोंच महसूस ना हो। जिसके चलते संस्था विगत वर्ष 2017.18 में 20 से अधिक बच्चों एवं 12 महिलाओं को निशुलक वस्त्र वित्त कर चुकि है।

अन्य कार्यक्रम

वर्ष 2017.18 में डॉ. आर्ट आफ लिविंग फाउंडेशन नामक संस्था के सदस्यों द्वारा एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की सहायता कारने हेतु संस्था अध्यक्ष एवं सचिव के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें कि डॉ. आर्ट आफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्य मिल कर एचआईवी संक्रमित गरीब तबके के व्यक्तियों को निम्न सामाजिक सहायता निशुलक प्रदान करवाएंगे



सहयोग

संस्था द्वारा दिनांक 14.8.2017 को ममता संस्था नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग द्वारा विकास भवन रायपुर रोड देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के पीएलएचआईवी व्यक्तियों के लिए सरकारी सहायता से जोड़ना था। जिसके अंतर्गत विकास भवन में एडवोकेसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।



0योग एवं स्वास्थ्य शिवरों को आयोजन।

0गरीब बच्चों को राशन एवं अन्य स्वास्थ्य सामग्री वितरण।

0अनाथ एवं गरीब बच्चों के लिए स्कूली सहायता एवं विभिन्न कार्य सामग्री।

0गरीब परिवारों के लिए सस्ते दूधों में स्वास्थ्य सेवाएं और निशुल्क परामर्श।

नेटवर्क द्वारा अचालित परियोजना के उद्देश्य

- समर्थन और उपचार सेवाओं, देखभाल के लिये शीघ्र लिकेंज।
- सक्रमित व्यक्तियों को उपचार शिक्षा को केयर एण्ड सपोर्ट सेक्टर में उपलब्ध कराना।
- समग्र उपचार की सफलता के लिये सेवा में वृद्धि, जैसे नवानपान की पौष्टिक शिक्षा, स्वास्थ्य जीवन शैली और मनोसामाजिक सुरक्षा आदि।
- एक के बाद एक से परामर्श, विशेष चुनौतियों पर चर्चा करने के लिये सक्रमित समुदाय का समूह बैठक का आयोजन करना।
- एक प्रणाली के तहत देखभाल करने वाले तथा परिवारिक सदस्यों का धन आविर्भूत देखभाल का मार्गदर्शन किया जाना जिसमें प्रशिक्षित सहकर्मी स्वयं सेवक भी शामिल हैं।
- बेहतर उपचार का पालन और शिक्षा।
- उच्च जोखिम समूह पर उपचार पालन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान।
- समस्त पीएलएचए. बच्चे, महिला एवं उच्च जोखिम समूह सहित सब को प्रशिक्षित सेवा प्रदाता से उच्च सेवा के उत्तरदायी तथा उनकी सेवा की समय समय में प्रतिक्रिया का अदान प्रदान किया जाना।
- एआरटी सेक्टर और केयर एण्ड सपोर्ट सेक्टर के बीच में नियमित समन्वय तथा सामाजिक सहयोगी भागदारी का सुनिश्चित किया जाना।
- प्रारंभिक प्रतीक्षण में वृद्धि और सकारात्मक विस्तृत गतिविधियों को रोकना।
- परामर्श और सहकर्मी सहयोगी के माध्यम से शीघ्र परीक्षण और उसके निदान को बढ़ावा देना।
एसआरएच. को शिक्षा एवं सहयोग।

- सकारात्मक रोकथाम और अन्य दूसरे सक्रमण की रोकथाम के लिये कर्मियों का पशिक्षित करना तथा सुसक्षित यौन-क्रिया तथा स्वस्थ जीवन शैली हेतु शिक्षित करना।
- नवजात शिशु मे उपचार हेतु माँ और परिवारो को समवय एव सहयोग को सुनिश्चित करना विशेष कर जो बच्चे एचआईवी से सक्रमित है।
- पीएलएचए का सामाजिक सुसक्षा एवं कल्याण के लिये लिकेज व्यवस्था।
 - पीएलएचए हेतु सामाजिक हकों और समाज कल्याण के लिकेज करना।
 - अंतर-मंत्रालयी बैठक में राज्य स्तरीय एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के साथ अन्य दूसरी लार्डन के विभागों में समवय स्थापित कर भागीदारी सुनिश्चित करना।
 - केयर एण्ड सपोर्ट सेक्टर द्वारा स्थानीय संसाधन को प्रेरित करना यह सुनिश्चित करना की एचआईवी के साथ जी रहे बच्चों को शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है।
- भेदभाव एवं लाक्षण आदि को कम करने हेतु समुदाय की प्रणाली का मजबूत बनाना।
 - राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के साथ नजदीकी कार्य व नियमित अंतर्विभागीय बैठक का आयोजन करना, जिसमे लाक्षण जैसे विषय पर चर्चा, जिससे पीएलएचए के उपचार में बाधा न हो।
 - केयर एण्ड सपोर्ट सेक्टर चालने वाले राज्य स्तरीय संगठन की वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधन क्षमता का निर्माण करना।
 - डीएपीसीयू व राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी और स्थानीय स्वस्थ प्रणाली के साथ समवय बनना।
 - सभी 29 राज्यों एवं 7 केन्द्र शासित प्रदेशो में स्थापित राज्य निरीक्षण समितियों का तिमाही बैठक।

एक नजर में

।बजपअपजपमे	।बीपमअमउमदज
Total PLHIVs registered in the CSC	19 83
On ART Phase Client are registered in CSC-Dehradun	13 40
Pre ART phase Client are registered in CSC-Dehradun	6 43
PLHA at least one Counseling received by peer counselor	19 80
PLHA at least one Counseling session received on thematic areas	19 81
Family member or sexual partner referred for HIV testing and received test result	3 26
CSC linked to Govt. social welfare scheme	7 59
Lost of follow up (LFU) brought back to treatment	12 61
Advocacy meeting organized	6

पंजीकरण

विद्यान परियोजना के अन्तर्गत अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक के एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों का पंजीकरण विवरण निम्नवत् है :-

स्थिति	पुरुष	महिला	टी. जी	पुरुष बच्चे	महिला बच्चे	कुल योग
प्री. एआरटी	41	15	1	8	2	67
ऑन एआर. टी	86	87	0	12	5	190
	127	102	1	20	7	257

परामर्श

वित्तीय वर्ष अप्रैल 2017 से मार्च 2018 में कुल 1983 एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को परामर्श दाता एवं पीयर परामर्श दाता द्वारा परामर्श की सुविधाये प्रदान की गई। परामर्श में माध्यम से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति की मनसिक अपोर्ट की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। 789 व्यक्तियों को परामर्श दाता द्वारा तथा 525 व्यक्तियों को पीयर परामर्शदाता द्वारा निम्न बिन्दुओं पर परामर्श की सेवाये प्रदान की गई। और निम्न मूद्दों का सम्मिलित किया जाता है :-

- एचआईवी/एड्स की सामान्य जानकारी।
- एआरटी की प्रतिबद्धता।
- अवसरवादी संक्रमण का प्रबन्धन।
- पौष्टिक आहार।
- मनोवैज्ञानिक सहायता ।
- मातृ स्वास्थ्य और शीघ्र शिशु रोग निदान।
- एचआईवी रोकथाम।
- स्वास्थ्य और सफाई।
- यौन और प्रजनन स्वास्थ्य।
- किशोरावस्था।
- विपरीत सारी।
- सुरक्षित यौन शिक्षा।
- परिवार नियोजन।
- प्रकटीकरण।
- अन्य- मानव व्यवहार/समाज/योग/अध्यात्म।

इसके अतिरिक्त परियोजना केन्द्र में स्वेच्छा से 547 लोगों ने केन्द्र पर विजिट किया और एचआईवी सम्बन्धी जानकारी इत्यादि प्राप्त की।

लॉन्ग ऑफ फॉलोअप (एलएफयू)

01 अप्रैल 2017 से मार्च 2018 माह तक 796 व्यक्तियों जो लोग तीन महीने से ए. आरटी सेक्टर से उपचार नहीं लेने आये हैं उन की सूची एआरटी सेक्टर द्वारा केयर एण्ड अपोर्ट सेक्टर को उपलब्ध कराई गयी जिसमें 608 एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की तलाश

विधान परियोजना के आउट रिच वर्क्स द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में रिच के माध्यम से कि गई तथा देहरादून और अन्य 6 राज्यों में घर घर जा कर उनको एआरटी

सेठर तक वापस लाया गया। इसके अतिरिक्त जो लोग मिस के वर्ग में है उन सभी कि सूचि भी एआरटी सेठर द्वारा विधान केयर एण्ड सेठर को उपलब्ध कराई गई। यह लोग पिछले तीन महीनों से रुवाई लेने नहीं आये है। इसमें से लोग ही एआरटी तक वापस जोड़ा गया है। इसमें के कुछ लोग तो पालयान कर गये। कई की मृत्यु हो गई है और कई की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इस कारण से यह लोग एआरटी तक नहीं पहुँच पाये है। इस कार्य विधान परियोजना की पूरी टीम का पूर्ण सहयोग रहा है।

अपोर्ट ग्रुप मिटिंग

जून 2017 से मार्च 2018 माह तक 44 अपोर्ट ग्रुप मिटिंग सम्पन्न कराई गई इस बैठको में 528 लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया। इन अपोर्ट ग्रुप मिटिंगों में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई -

- एचआईवी की बुनियादी जानकारी।
- बुनियादी स्वास्थ्य और साफ सफाई।
- आहार और पोषण।
- घर पर आधिरित देखभाल।
- ओआई प्रबंधन और सह संक्रमण।
- उपचार शिक्षा/प्रतिबद्धता।
- सामाजिक पारता और जीविकोपार्जन।
- सकारात्मक रोकथाम/जीवन शैली
- योग और ध्यान।
- एआर टी और उसके प्रबंधन के साइड इफेक्ट।
- यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार और पीपीटीसी।
- कानूनी अधिकार और इसके लिये सख्खर्भ।
- शादी, लत और मनोवैज्ञानिक परामर्श।
- परिवार सहायता परामर्श।
- मुख्यधारा और सम्पर्क।
- लिंग संवेदीकरण और महिला सशक्तिकरण।
- कारपोरेट छाउस पर भ्रमण और उनके साथ जुड़ाव हेतु सकारात्मक भाषण।
- सुरक्षित यौन शिक्षा, कंडोम शिक्षा सहित आयु वर्गों के लिये बच्चों का छोड़कर।
- कानूनी मुद्दों।
- प्रकटीकरण मुद्दों-बच्चे/पति या पत्नि।
- लॉसन और मेरुभाव और जीपा।
- सहकर्मी नेता/सकारात्मक भाषण।

इमरजेन्सी/रेफरल सर्विस

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में संस्था द्वारा एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 72 पुरुषों एवं महिलाओं एवं बच्चों की मदद इमरजेन्सी सहायता के द्वारा प्रदान की गई। जो लोग आर्थिक रूप कमजोर हैं, वे लोग जो कि एआरटी सेक्टर के कर्मों हड़ताल पर रहे एवं केन्द्र में आने जाने की स्थानीय यात्रा व्यय भी शामिल है।

एडवोकेसी कार्यक्रम

01 दिसंबर 2017 में विश्व एड्स दिवस के कार्यक्रम में उत्तराखण्ड नेटवर्क एवं विद्यान परियोजना के कर्मियों द्वारा जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था विद्यान परियोजना एवं संस्था में जुड़े विभिन्न व्यक्तियों द्वारा एड्स दिवस के उपलक्ष्य में दो मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसको कि दो चरणों में बांटा गया जो कि ठीक है।

जागरूकता कार्यक्रम

पहले चरण में देहरादून के प्रमुख स्थानों में से एक गांधी पार्क राजपुर जहाँ कि भौगोलिक परिस्थिती एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जन जागरूकता का आयोजन किया गया जिसमें राह चलते विद्यालयों शैक्षिक संस्थानों एवं पर्यटन के लिए आए अन्य व्यक्तियों को भी जागरूक किया गया और साथ ही साथ नव विवाहित जोड़ों को एचआईवी जाँच करने कि सलाह भी दी गई।

एचआईवी और उससे जुड़े संक्रमण इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एचआई.वी से संक्रमित व्यक्तियों के संग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने था और साथ ही उन्हें एचआईवी से जुड़े अन्य संक्रमणीय रोगों के विषय में भी जागरूक

प्रतिभाग किया गया इस कार्यक्रम का आयोजन संस्था द्वारा किया गया जिसमें करीब 300 व्यक्तियों ने परिभाग किया और अन्य विभागों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

कनना एवं जकरत मंद महिलाओं और बच्चों को माँ कालिका सेवा दल के माध्यम से पोषण आहार सामग्री के साथ-साथ कमबल भी बांटे जाने थे। जिसके लिए संस्था द्वारा सभी माननीय अधिकारियों एवं दानदाताओं को आमंत्रित किया गया था जिसके उपरान्त टीबी विभाग एवं अन्य कई स्वास्थ्य संबंधित विभागों द्वारा भी सहयोग किया गया था जिसके दौरान उपस्थित पीएलएचआईवी व्यक्तियों को एक-एक कर टीबी/एचआईवी हैपाटाईटीस। और ठ के विषय में भी बताया जिसके पश्चात श्री एसके दत्ता सदस्य माँ कालिका बाल सेवा दल द्वारा सभी उपस्थित प्रतिभागियों का अभिन्न हृदय व्यक्त करते हुए उपस्थी सभी 65 पीएलएचआईवी महिलाओं एवं बच्चों को कमबल अथवा पोषण आहार बांटा गए और गरीब अनाथ बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए भी हमी दी है।

समाजिक कल्याण योजनाएं एवं समाजिक पारंपरा

उत्तराखण्ड एसोशिएशन फॉर पॉजिटिव पीपुल लिविंग विद् एचआईवी/एड्स का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि एचआईवी के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों को समाज की मुख्यधारा से किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिये। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है कि इस के अन्तर्गत संस्था द्वारा 603 लाभार्थियों को सामाजिक कल्याण योजना एवं सामाजिक प्रवृत्ता से जोड़ा गया है।

1. निशुल्क उपचार	7 लाभार्थी
2. अत्योदया अन्न योजना	60 लाभार्थी
3. आई. सी. डी. एस	49 लाभार्थी
4. आजीविका सहयोग	76 लाभार्थी
5. कानूनी सहायता	2 लाभार्थी
6. विधवा पेंशन	6 लाभार्थी
7. आधार कार्ड	2 लाभार्थी
8. अन्य सहायता	401 लाभार्थी

स्टेट ओवर साईट कमेटी का गठन

विधान परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्टेट ओवर साईट कमेटी का गठन। 22 मार्च 2017 में उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून के तत्त्वधान में किया गया। स्टेट ओवर साईट कमेटी में के अध्यक्ष, राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अपर परियोजना निदेशक, सदस्य सचिव, ममता संस्था एवं एलाइंस से सदस्य सहित नेटवर्क एवं परियोजना निदेशक सहित 11 सदस्य हैं जो कि विधान परियोजना के अन्तर्गत स्थापित केयर एण्ड सपोर्ट सेक्टर की मूल्यांकन एवं कार्यक्रम के कार्ययोजना के टीमधी अनुश्रवण इत्यादि करेगा। इस के तहत 27 दिसम्बर 2017 में स्टेट ओवर साईट कमेटी की बैठक का आयोजन

किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप आज संस्थां ना केवल उत्तराखण्ड राज्य में बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों कि संस्था से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जिससे संस्था ना केवल राज्य स्तर पर बल्कि केन्द्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहरा रही है।



स्टाफ रिव्यू एवं प्लानिंग मीटिंग

प्रतिमाह की अन्तिम तिथि में स्टाफ रिव्यू एवं अगामी माह की कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु स्टाफ रिव्यू एवं प्लानिंग बैठक की जाती हैं वर्ष 2016-2017 में 12 बैठकों का आयोजन किया गया। प्रत्येक माह कि बैठक में पिछले माहिने के लक्ष्य की पूर्ति को देखे गया तथा आगामी माह के लक्ष्य को रखा गया। इसके

आधार पर प्रति माह की प्रगति आख्या को सहयोगी संस्था ममता-एचआईएमसी, दिल्ली को प्रति माह की 03 तिथि आख्या भेजी जाती है। जिसमें उपरांत उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार भविष्य की योजनाएं सुनिश्चित की जाती है।

भेदभाव निवारण टीम का गठन

विद्यालय परियोजना के अंतर्गत भेदभाव निवारण टीम का गठन मार्च 2014 किया गया है। इस टीम में संस्था पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, पीयर परामर्शदाता, सोशल एक्टिविस्ट, तथा एचआईवी की साथ जीवन यापन करनेवाले सदस्य सहित 11 सदस्यों की टीम है। इस भेदभाव निवारण टीम के गठन का उद्देश्य एच. आईवी के साथ जीवन यापन करने वाले महिला, पुरुष एवं बच्चों का किसी भी स्थान पर भेदभाव हो रहा हो उसका निवारण 24 घण्टों में किये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जाने है। भेदभाव के बिन्दु निम्नवत् है :-

- परिवारिक भेदभाव
- नौकरी के स्थान पर भेदभाव
- चिकित्सा सेवाओं भेदभाव
- पुलिस द्वारा भेदभाव
- स्थानीय नेता एवं सामाजिक परिवेश में भेदभाव
- सम्पत्ति आदि के मुद्दे।
- स्कूल/कॉलेज आदि स्थान पर भेदभाव

स्टाफ प्रशिक्षण

संस्था द्वारा जिन व्यक्ति को कार्य के लिए चिन्हित किया जाता है उन्हें पहले चरण में व्यक्तियों से वार्ता करने परामर्श एवं संवय के विचारों से किस प्रकार अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सके इस विषय में बताया जाता है जिससे कि वह संस्था और उससे जुड़े कार्यों में परिपूर्णतः साबित कर सके तत्पश्चात उन्हें परियोजना के कार्यप्रणाली के विषय में पूर्णतः अवगत कराया जाता है और उनके साथ रह कर उनके कार्यों का अंकलन करने के पश्चात ही कार्यभार सौंपा जाता है। जिससे कि ना केवल एच. आईवी/एड्स तक सिमित रह कर बल्कि उससे भी

अधिक सामाजिक एकता और जुड़ाव को सभी के अंततः आत्मा में स्थापित किया जा सके।

संस्था के अन्य कार्य

इन्टरशिप कार्यक्रम

संस्था द्वारा समाज में अपनी पहचान एवं एचआईवी के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रति जागरूकता एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज विज्ञान के छात्र एवं छात्राओं को इन्टरशिप कार्यक्रम के लिये आमंत्रित किया गया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2016-2017 में एमएस. डब्लू कोर्स करने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिये कार्यशालाओं को आयोजन किया गया। और 5 छात्राओं को इसमें सम्मिलित किया गया था।

स्वयंसेवकों का सहयोग

जैसा कि संस्था या एनजीओ को समाज का एक अहम पहलू माना गया है जो कि बिना सामाजिक कर्माकर्ताओं के बिना संभव नहीं है जिसके लिए प्रत्येक संस्था को भरोसेमंद स्वयंसेवकों की आवश्यकता रहती है जो कि संस्था का अभिन्न भाग होते हैं और वर्तमान में संस्था को कई सक्रमित एवं गैर सक्रमित व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त जो कि आने वाले वर्षों में बढ़ने की आशा है और वर्तमान माह मार्च 2018 तक संस्था के पास 40 से अधिक स्वयंसेवक स्थित है।

निशुल्क बस पास

संस्था द्वारा संगठन की ओर से मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव एवं आयुक्त परिवहन आदि अधिकारियों के समक्ष रख गया है जो कि आने वाले वर्षों में पूर्ण राज्य में लागू हो जाएगा जिसके लिए नेटवर्क द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे आश्वासन भी प्राप्त किया है कि जल्द से जल्द इस विषय पर उचित कार्यवाही कि जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के माध्यम संचालित विभिन्न योजनाओं में एचआईवी के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की आवाज को शासन तक पहुंचाया गया है।

वर्ष 2017-2018 का वित्तीय विवरण

विहान केयर एण्ड सपोर्ट सेन्टर

Sl. No	Activites	Qtr-1	Qtr-2	Qtr-3	Qtr-4	Total
Vihaan Care & Support Center						
I.	Fixed Assets					
i)	Computer & Hardware	40350				40350
ii)	Furniture & Fixture	36453				36453
iii)	Office Equipment	10999				10999
	Total	87802				87802
II.	Human Resources	223918	217336	232879	117254	791387
III.	Overhead	65763	58603	58625	47656	230647
IV.	Living & Support	1220	1882	2130		5232
V.	Planning & Admin. Cost	25300	22800	25047	9700	82847
VI.	Tranning	10277	10472	7522	1350	29621
VII.	World's Aids Day 2017			12000		-
VIII.	IEC Cost		1400			1400
	Sub Total	326478	312493	338203	179618	1141134
Uttarakhand Association for Positve People Living with HIV/AIDS						
I.	Fixed Assets					
i)	Computer & Hardware	11962				11962
ii)	Furniture & Fixture	21707				21707
iii)	Office Equipment	4472				4472
	Total	38141				38141
II.	Indirect Expenses					
	Office Running Cost	298291				298291
III.	Depriciation on Fixed Assets	10,978				10978
	Sub Total	372080				347410
Grand Total		1614487				1614487

પ્રબંધકારિણી સદસ્ય

નામ	પદ
શ્રી રામ પ્રસાદ	અધ્યક્ષ
શ્રીમતી. રેન્વા રાવત	ઉપાધ્યક્ષ
પવન મારઢાજ	સચિવ
રાજેશ	સહસચિવ
સિમ્મી સિંહ	કોષાધ્યક્ષ
કુ દીપા	સદસ્ય
શ્રીમતી શકુન્તલા દેવી	સદસ્ય
શ્રી જય નારાયણ સિંહ	સદસ્ય
શ્રીમતી ભુલોચના નેગી	સદસ્ય
શ્રી મનોજ સિંહ ચૌહાન	સદસ્ય
શ્રી દિનેશ સિંહ	સદસ્ય

વિધાન કેયન ઇન્ટ સપોર્ટ સેલ્ડન,દેહનાદુન	
નામ	પદ
અનિલ સિંહ રાવત	પરિયોજના સમન્વયક
અમિત સિંહ ગુસાર્ડ	લેન્વાકાર
પૂનમ કણ્ડારી	પીયર કાંડસલર
ઝઢી અધિકારી	આડડ રીચ વર્કર
પ્રીયાંશુ કુમાર	આડડ રીચ વર્કર

वित्तीय पोषित



ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ

અચિન અગ્રવાલ એન્ડ કમ્પની

અચિન અગ્રવાલ, સી.એ.

પ્રથમ તલ, શિવા પૈલેસ, રાજપુર રોડ, દેહરાદૂન

હમાને બૈકર્સ

બૈંક ઑફ બડોદા

રાજપુર રોડ, દેહરાદૂન

કોર્પોરેશન બૈંક

હરિદ્વાર દેહરાદૂન બાઈ પાસ રોડ,

રિસ્પાના પુલ

દેહરાદૂન

फॉटो गैलरी



उत्तराखण्ड जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सन्धा को
उत्तराखण्ड मे एचआईवी व्यक्तियों के प्रति योगदान सर्वश्रेष्ठ के लिए सनाहा गया।



भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा संस्था को उत्तराखण्ड राज्य में एचआईवी व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्य के प्रति योगदान एवं निष्ठा भावना के लिए संस्था एवं उसके सदस्यों को सम्मानित किया गया।



उत्तराखण्ड एसोसिएशन फॉर पोजिटिव पीपुल लिविंग विद् एच.आई.वी/एड्स खुद के जख्म भूल औरों की सेवा में जुटे

SPECIAL

- 1890 एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स की देखभाल को एड्स पीडिटी ने बनाई संस्था
- एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स को समय पर मेडिसिन और फॉरटिक गोजन खिला रहे

Urdu@animesh@rediffmail.com

DEHRADUN (20 Feb): नीलिमा (कापूरनिका भय) की उम्र 26 वर्ष है, तीन साल पहले एक रात में उसे घात चलता कि वह एचआईवी पॉजिटिव है, यह सुचना नीलिमा के लिए एक तरह से जिन्दगी का अंत थी, कुछ दिनों तक वह परेशान रही, कई बार आत्महत्या करने तक का विचार मन में आया, लेकिन इसके बाद उसने एचआईवी-एड्स के बारे में जानकारी का जुटावा शुरू की, उसे एक ऐसी संस्था को जानकारी मिली, जिसे एचआईवी संक्रमित लोग चलाते हैं और अपने जैसे एचआईवी संक्रमितों को सेवा करते हैं, नीलिमा अब इस संस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एचआईवी पॉजिटिव लोगों की सेवा में जुटी हुई है, नीलिमा कहती है कि अब तो वह भूल भी गई है कि वह खुद एचआईवी संक्रमित है, निर्वासित मेडिसिन और फॉरटिक भोजन करती हैं और दूसरों को यही सलाह देती हैं.

संस्था के दर्जनभर मैनबर

खुद एचआईवी पॉजिटिव होते हुए दूसरे संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे एक दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर यह संस्था बनाई है, संस्था के सदस्यों ने उत्तराखण्ड के सार्वजनिक 1890 लोगों का अपनी संस्था में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, संस्था के सदस्य रोजरहान कर चुके हैं, संस्था के सदस्य रोजरहान लोगों को हर तरह से मदद करती हैं, जिसमें मेडिकल हेल्प के साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने जैसी सहायता भी शामिल है, मेडिसिन से लेकर उचित खान-पान की सलाह भी देते हैं.



ऐसे करते हैं मदद संक्रमित गर्भवतियों पर ध्यान

एचआईवी संक्रमित लोगों को यह संस्था सबसे पहले मेडिसिन से जोड़ती है, उन्हें मेडिसिन सप्ले से मेडिसिन टी जार है और यीट यीट मेडिसिन बीड में छेड़ता है तो उसे फिर से मेडिसिन से जोड़ा जाता है, इसके साथ ही फॉरटिक अन्नार के बारे में बताता जाता है, संस्था का मकसद है कि इन दो चीजों का ध्यान रखकर एचआईवी संक्रमित रहमन्त जिन्दगी जी सकते हैं.

सरकारी योजनाओं का लाभ

यह संस्था एचआईवी संक्रमितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में भी मदद करती है, रोजरहान और 60 साल की उम्र पर तर तुल्य लोगों को पेंशन, सार्वजनिक और से मिलने वाली स्वस्थ सुविधाओं और विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट कनफेमेंस में एचआईवी संक्रमित लोगों की मदद करे जाते हैं.

यह संस्था एचआईवी पॉजिटिव लोगों की मदद करती है, दरअसल हमारे जैसे लोग हमारी समस्या को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस संस्था के लोगों को नेशनल एड्स कंट्रोल सोसायटी ट्रेनिंग देती है और कुछ आर्थिक मदद भी.

इस संस्था से जुड़े लोग सभी जिलों में उन केन्द्रों में सक्रिय रहते हैं, जहाँ एचआईवी-एड्स की जांच की जाती है, इन केन्द्रों में संक्रमित पाये गये लोगों से दूरन्त संस्था के लोग संपर्क करते हैं, नीलिमा कहती है कि ऐसे लोगों को पहले जरूरत मन्सिफर सप्ले से सम्पर्क करे जाते हैं, अब लोगों को फा कक्षा है कि वे एचआईवी संक्रमित हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया खत्म हो गई है, ऐसे लोगों को हमारी संस्था सबसे पहले आन उदररग देकर बताती है कि एचआईवी कोई बीम नहीं है, मेडिसिन और रान-रान का सार रीक रखकर हम भी रहमन्त जिन्दगी जी सकते हैं.

एलबम में भावना, स्लोगन में रुचि अब्बल

एड्स दिवस के अवसर पर फूलचंद नारी शिल्प में आयोजित हुई प्रतियोगिता



एड्स दिवस के अवसर पर फूलचंद नारी शिल्प में आयोजित हुई प्रतियोगिता

एड्स दिवस के अवसर पर फूलचंद नारी शिल्प में आयोजित हुई प्रतियोगिता

एड्स दिवस के अवसर पर फूलचंद नारी शिल्प में आयोजित हुई प्रतियोगिता, जिसमें महिलाओं ने अपनी भावनाओं और रुचि को एलबम और स्लोगन के माध्यम से व्यक्त किया. प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं ने अपनी रचनाओं को प्रदर्शित किया, जिसमें एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाए गए स्लोगन और एलबम शामिल थे. प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं ने अपनी रचनाओं को प्रदर्शित किया, जिसमें एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाए गए स्लोगन और एलबम शामिल थे.